

I/14376/2021

पत्रांक: वीआरएलपीएस/ प्रोजेक्ट-एमएंडई/1373/18/14376
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
जीविका

दिनांक: 13.12.2021

कार्यालय आदेशसतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित परिवारों के चयन अभियान हेतु व्यय और बजटीय प्रावधान.

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत देशी शराब, ताड़ी एवं अनुसूचित जाति / जनजाति से संबन्धित लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के चयन हेतु पत्रांक संख्या: वी.आर.एल.पी.एस./प्रोजेक्ट-एम.एंड.ई. /1373/18/4218 दिनांक-10-12-2021 के माध्यम से दिनांक 15 दिसम्बर 2021 से 30 दिसम्बर 2021 तक सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाने हेतु कार्यालय आदेश निर्गत किए गया है।

इस आदेश के माध्यम से अभियान के दौरान होने वाले व्यय और बजटीय प्रावधान की विवरणी उपलब्ध कराई जा रही है :

क्र०सं०	विवरण	इकाई	अभियुक्ति
1.	परियोजना कर्मियों का उन्मुखीकरण	सभी प्रखंडों में	परियोजना कर्मियों के गैर आवासीय प्रशिक्षण वी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के स्वीकृत दर के तहत व्यय बुक किया जाएगा।
2.	3 सदस्यीय टीम का उन्मुखीकरण	सभी प्रखंडों में	जीविका की प्रशिक्षण की इकाई लागत के अनुसार वी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष के तहत सामुदायिक संगठकों के गैर आवासीय प्रशिक्षण शीर्ष में बुक किया जाएगा।
3.	अभियान अवधि के दौरान वाहन उपलब्धता	अभियान के दौरान प्रति प्रखंड 7 दिन के लिए और जिला स्तर पर अतिरिक्त 12 दिनों के लिए वाहन की का प्रावधान	कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj/197/10/1775 दिनांक: 18.8.2018 में उल्लेखित इकाई लागत के अनुसार वी.पी.आई.यू के लिए अनिवार्य 10 दिनों के अतिरिक्त एम.जे.वाई. शीर्ष में बुक किया जाएगा।
4.	3 सदस्यीय टीम को मानदेय	प्रति टीम (प्रखंड में ग्राम संगठनों की संख्या के अनुसार)	टीम के प्रत्येक सदस्य को जीविका के सी.आर.पी. पॉलिसी के अनुसार प्रतिदिन के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भुगतान पर हुए व्यय को वी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के सी.आर.पी. अभियान शीर्ष में बुक किया जाएगा।
5.	सीएफ/एमवीके/वीके को संसाधन शुल्क	सभी प्रखंडों में 1 सदस्य प्रति क्लस्टर	सीएफ/एमवीके/वीके को उनके नियत क्लस्टर में अभियान के दौरान पहचाने गए परिवारों के गृह भ्रमण के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 200/- रुपये का भुगतान किया जाएगा। व्यय की प्रविष्टि वी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के तहत की जाएगी।
6.	MIS पर परिवारों के प्रोफाइल प्रविष्टि के लिए प्रोत्साहन राशि	प्रखंड/जिला स्तर पर अनुमोदित परिवारों प्रोफाइल की प्रविष्टि	5/- रुपये प्रति परिवार प्रोफाइल (वी.पी.आई.यू के सत्यापन के बाद) एम.जे.वाई. एम.आई.एम में प्रविष्टि के लिए संबंधित डेटा ऑपरेटर को भुगतान किया जाएगा। इस खर्च का समायोजन वी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी शीर्ष में किया जाएगा।

I/14376/2021

7.	सभी प्रारूपों/स्टेशनरी की छपाई	अनुलग्न किए गए दस्तावेज़	BPIU के पास अभियान के दौरान प्रिंटिंग / फॉर्मेट के फोटो कॉपी और स्टेशनरी के लिए अतिरिक्त रु 10000/- की राशि का प्रावधान होगा। चयन टीम को सभी फॉर्मेट एक फोल्डर में उपलब्ध कराया जाना है। इस फोल्डर को ओरिएंटेशन के दौरान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस व्यय को वी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के तहत दर्ज किया जाना है।
8.	विविध व्यय	प्रति टीम (प्रखंड में आवश्यक टीम के अनुसार)	वी.पी.आई.यू के पास एस.जे.वाई. एंडोर्समेंट अभियान के विविध खर्चों के लिए प्रति टीम 500/- रुपये का अतिरिक्त बजट होगा। इस व्यय को एस.जे.वाई. के तहत समायोजित किया जाएगा।
9.	बुक कीपर के लिए प्रोत्साहन राशि	सभी प्रखंडों में	चयन अभियान के दौरान लेखांकन करने और ग्राम संगठन की बैठकें आयोजित करने के लिए संबंधित बुक कीपर को 100/- रुपये प्रति ग्राम संगठन भुगतान किया जाएगा। इस व्यय को वी.टी.डी.पी / एन.आर.एल.एम/ एन.आर.ई.टी.पी के सी.आर.पी. अभियान उप घटक के तहत बुक किया जाएगा।

Signed by Balamurugan D

Date: 13-12-2021 19:31:39

Reason: Approved

(बीलामुर्गन डी.)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह मिशन निदेशक

प्रतिलिपि :

1. सभी जिलों के जिला परियोजना प्रबन्धक, वित्त प्रबन्धक, एस.जे.वाई. नोडल एवं वी.पी.एम.
2. सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारी
3. संबन्धित संचिका